

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
अटारु (बारां)

मदनलाल
प्रार्थी

बनाम राजस्थान सरकार (भूधारक) जयें तहसीलदार अटारु
अप्रार्थी

विषय :- राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू. अधि. 1956

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम मेरमाचार पटवार मण्डल मेरमाचार
तहसील अटारु जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 खाता संख्या 202 में खातेदार/गैरखातेदार के रूप
में मेरा नाम/जाति मदनमोहन दर्ज है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक करवाना
चाहता हूँ।

अतः इस खाता संख्या में मेरा नाम/जाति मदनमोहन के स्थान पर मदनलाल
दर्ज/दुरुस्त करने की कृपा करें।

पहचानकर्ता

पटवारी/ग्रामसेवक/ग्राम रोजगारसहा./
सरपंच/वार्ड पंच/अन्य

प्रार्थी मदनलाल
मदनलाल शंभुलाल
जाति ब्राह्मण नि. मेरमाचार

- :: रिपोर्ट हल्का पटवारी :: -

पटवारी हल्का मेरमाचार के ग्राम मेरमाचार की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 के
खाता संख्या 202 में प्रार्थी खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति मदनमोहन दर्ज है। जो
सम्मानजनक नहीं है अतः इस खाता संख्या में प्रार्थी का नाम/जाति मदनमोहन के स्थान पर
मदनलाल करना उचित होगा।

3/10/2020
24/10/2020

हस्ताक्षर
पटवारी हल्का मेरमाचार

- :: रिपोर्ट तहसीलदार अटारु :: -

पटवारी हल्का मेरमाचार की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मेरमाचार की चालू जमाबन्दी
सम्वत् 2071-74 के खाता संख्या 202 में प्रार्थी खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति मदनमोहन
दर्ज है। जो सम्मानजनक नहीं है अतः इस खाता संख्या में प्रार्थी का नाम/जाति मदनमोहन
के स्थान पर मदनलाल करना उचित होगा।

हस्ताक्षर
तहसीलदार अटारु

कमाक :

4/2020

न्याय लय उपखण्ड अधिकारी अटारु जिला बारां (राज.)

दिनांक 18/10/20
जिला बारां (राज.)

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री मदनलाल पुत्र/पुत्री/पत्नी बाला ने प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मेरमाचार पटवार मण्डल मेरमाचार तहसील अटारु जिला बारां
की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 के खाता संख्या 202 में खातेदार/गैरखातेदार का
नाम/जाति मदनमोहन अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से मदनलाल
अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जाँच पटवारी मेरमाचार से करवाने पर पटवारी ने मदनमोहन
के बजाय मदनलाल करना उचित बताया। तहसीलदार अटारु ने
भी उक्त खाते में मदनमोहन के बजाय मदनलाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं
नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू. अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम मेरमाचार के खाता संख्या 202
में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति मदनमोहन के स्थान पर सम्मानजनक रूप
से मदनलाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार अटारु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में
दुरुस्ती करें। मदनलाल

09
उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
अटारु जिला बारां

